



सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना बनाने के लिए संभाव्य सुलभ प्रारूप

ATREE और TISS

(दूसरी आवृत्ति: 18 दिसम्बर 2023)

पृष्ठभूमि

वन अधिकार कानून, २००६ (FRA) के कलम 3(1)(झ) के तहत ग्राम सभाओं को अपने सामुदायिक वन सांसाधन क्षेत्र (CFR) के रक्षण, संवर्धन, पुनरुज्जीवन और प्रबंधन का अधिकार प्राप्त होता है। ये अधिकार प्राप्त होने के बाद नियम 4(1)(ञ) के अनुसार उन्हें अपनी सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति का गठन करना होगा, और नियम 4(1)(च) के अनुसार इस समिति को CFR क्षेत्र के लिए एक प्रबंधन योजना बनाना अपेक्षित है। इस योजना को फिर वन विभाग की प्रबंधन योजना या वर्किंग प्लान में जोड़ा जाएगा।

केन्द्रीय जनजाती मंत्रालय ने सोच समझकर ग्राम सभाओं को छूट दी है कि वे अपने-अपने हिसाब से योजना बनाएँ। लेकिन कई संघटनाओं से मांग है कि कोई ना कोई प्रारूप (सुझाव के रूप में) हो तो सुविधा हो सकती है। 2017 में महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर ATREE और TISS ने मिलकर एक ऐसा प्रारूप तैयार किया था जिसे महाराष्ट्र सरकार ने मराठी में जारी किया। उसका उपयोग करने के बाद मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर और हमारे अपने अनुभव को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रारूप की दूसरी आवृत्ति पेश कर रहे हैं। इसमें इस प्रारूप के उद्देश्य और प्रक्रिया के बारे में टिप्पणियों का समावेश है।

सामुदायिक वन प्रबंधन के उद्देश्य क्या होने चाहिए?

वन अधिकार कानून के कलम 5 के तहत ग्राम सभाएं अपने क्षेत्र में:

- क) वन्य जीव, वन और जैव विविधता का संरक्षण,
- ख) जलागम क्षेत्र, जल स्रोत और पर्यावरण की दृष्टि से अन्य संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण, और

ग) वननिवासियों की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को को विनाश से बचाने के लिए

सशक्त है (और ये उनकी जिम्मेवारी भी बनती है)।

साथ-साथ नियम 4(1)(च) कहता है कि वन क्षेत्र का प्रबंधन 'सुस्थिर और न्यायोचित' होना चाहिए। और कलम 3 में दिये गए अधिकार वन निवासियों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए है।

इन विचारों को समेकित करने पर यह स्पष्ट होता है कि CFR प्रबंधन के उद्देश्य है: जंगल के आधार पर **आजीविका विकास**, जंगल का **समानतापूर्ण** और **सुस्थिर उपयोग**, **जैव विविधता** का संरक्षण, और इन सब के बारे में **लोकतान्त्रिक प्रक्रिया** से निर्णय हों। इसी विचार को हमने आकृति की रूप में दर्शाया है:

वन प्रबंधन के उद्दिष्ट क्या हो सकते हैं?



अर्थात्, इन उद्देश्यों को स्थानिक भाषा में और परिस्थिति अनुरूप निश्चित करना होगा। लेकिन मोटे तौर पर इन उद्देश्यों को सतत ध्यान में रखते हुए प्रबंधन योजना और प्रत्यक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाना जरूरी है।

प्रबंधन योजना

इस संदर्भ में प्रबंधन **योजना** बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है की ग्राम सभा को यथाक्रम और व्यवस्थित विचार करने का मौका मिले कि इन उपरोक्त उद्देश्यों तक कैसे पहुंचा जाए। मतलब योजना बनाने की प्रक्रिया जल्दबाज़ी में, केवल प्रशासकीय औपचारिकता के रूप में पर या फिर अति जटिल और तकनीकी नहीं होनी चाहिए। 'वैज्ञानिकता' का आडंबर टालते हुए, यह योजना सरल, लोकोन्मुख और समस्या-निवारण की दृष्टि से बनी हो, जिसके माध्यम से वन संरक्षण/संवर्धन और आजीविका विकास में गाँव जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उसके समाधान के लिए गतिविधियां उभर कर निकलें। योजना प्रथमतः गाँव के लिए है, न कि उन लोगों के लिए जो गाँव को पहचानते तक नहीं हैं। लेकिन उसे पढ़कर राज्य सरकार के विविध विभाग और अन्य लोगों को अंदाज़ा मिले में गाँव की सोच क्या है और जरूरतें क्या हैं।

इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, हमने एक सरल प्रारूप का मसौदा तैयार किया है जिसका उपयोग CFR प्रबंधन योजना बनाने में किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य केवल मुख्य चरणों की पहचान कराना है: इसकी बारीकियाँ क्रियान्वयन करते समय परिस्थितिअनुरूप बदलेगी। हमने प्रारूप (template) बनाया है ताकि योजना का समभाव्य रूप स्पष्ट हो, और बीच-बीच में मार्गदर्शक संकेत (हरे रंग में) दिये हैं।

प्रारूप के मुख्य भाग हैं:

- 1) CFR क्षेत्र की वर्तमान स्थिति
- 2) CFR से समुदायों की जरूरत
- 3) CFR के लिए संभाव्य खतरे/समस्याएँ
- 4) खतरों को रोकने और ज़रूरतों का समाधान करने के लिये कार्य योजना
- 5) कार्य योजना में सरकारी यंत्रणा और अन्य से सहायता और आश्वासन की आवश्यकता
- 6) आजीविका वृद्धि
- 7) योजना का कार्यकाल

योजना का प्रारूप प्रस्तुत करने के बाद हमने योजना बनाते समय (और उसके क्रियान्वयन में भी) सभी सौदायों का सहभाग और निरण्य लेने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्व दोहराया है। और फिर विभिन्न परिस्थितियों में योजना का रूप कैसे बदल सकता है इसी नमूद किया है।

अंत में, हमने एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया, जिसे ग्राम सभा योजना को अपनाते समय पारित कर सकती है, ताकि सरकारी विभागों से योजना के तहत सूचित क्रियाकलापों और अपेक्षाओं को बताया जा सके, और इस योजना के अनुरूप वन विभाग अपनी कार्य योजना (वर्किंग प्लान) को बदल सके।

सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना का एक संभाव्य सरल प्रारूप

- **मुखपृष्ठ** पर प्राथमिक जानकारी हो: ग्राम सभा का नाम, पंचायत, जनपद/तहसील, जिला, योजना की तारीख, इत्यादि
- **गाँव की संक्षिप्त जानकारी:** *(CFR क्षेत्र के बारे में चर्चा करने से पहले गाँव का संक्षिप्त में वर्णन करें।)*
 - क) लोकसंख्या और उसमें विविध समुदायों का हिस्सा, जैसे की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, भूमिहीनता का प्रमाण, साक्षरता का प्रमाण ...)
 - ख) खेती की कुल जमीन, सिंचित क्षेत्र, अन्य सामुदायिक जमीन
 - ग) आजीविका के मुख्य स्रोत

1) CFR क्षेत्र की वर्तमान स्थिति: *(योजना CFR के बारे में है, इसलिए CFR क्षेत्र का सामुदायिक रूप से भ्रमण करके थोड़ा गौर से वर्णन*

या सादर करें। इसका उपयोग आगे चलकर समस्याओं और समाधानों को समझने में होगा।)

- i. CFR अधिकारपत्र / टाइटिल के अनुसार CFR का कुल क्षेत्र: ___ हेक्टेयर या एकड़
- ii. कम्पार्टमेंट नंबर / राजस्व सर्वे नंबर (यदि ज्ञात हो):
- iii. जीपीएस सर्वेक्षण के बाद अनुमानित क्षेत्र: ___ हेक्टेयर या एकड़ (यदि जीपीएस सर्वेक्षण नहीं किया गया हो, तो कहो उपलब्ध नहीं है) (अगर जीपीएस से सीमा निर्धारण हो चुका है तो उसे गूगल अर्थ पर भी दिखा सकते हैं।)
- iv. CFR के तहत विभिन्न वन टापू के लिए स्थानीय / पारंपरिक नाम: (सूची बनायीये, और यदि संभव हो तो सामुदायिक प्रक्रिया से नज़री नक्शे के रूप में उनके स्थान दिखाएं)
- v. CFR क्षेत्र की वर्तमान स्थिति: (यहाँ सबसे सरल प्रारूप सूचित किया गया है, जो कि CFR क्षेत्र में कुछ ट्रांसेक्ट और गूगल अर्थ चित्र (इमेजरी) पर आधारित सहभागितापूर्ण मान-चित्रण (मैपिंग) को मिला के किया जा सकता है। मानचित्र (मैप) योजना को संलग्न करें। सभी क्षेत्रफल केवल अंदाज़ के रूप में बताना काफी है।)
 - a) घने वृक्षों का क्षेत्र (कुल CFR के _____ % (प्रतिशत)) (अनुमानित)
 - b) विरल वृक्षों का क्षेत्र (कुल CFR के _____%) (अनुमानित)
 - c) घास के मैदान का क्षेत्र (कुल CFR के _____%) (अनुमानित)
 - d) वन विभाग का रोपण (प्लांटेशन) क्षेत्र (कुल CFR के _____%) (अनुमानित)

- e) वह क्षेत्र जो बंजर है लेकिन फिर से पुनरज्जिवित किया जा सकता है (कुल CFR का %) (अनुमानित)
 - f) वह क्षेत्र जो बंजर और चट्टान है और पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है (CFR के% के रूप में) (अनुमानित)
 - g) कोई अन्य विशेषताएँ या भूमि की उपयोगिताएं जो समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है
- vi. CFR क्षेत्र का गुणात्मक विवरण:
- a) पेड़, झाड़ी और घास की सामान्य प्रजातियाँ : (10 - 20 प्रजातियों की सूची जिन्हें आप आम तौर पर देखते हैं)
 - b) सामान्य पशु प्रजातियाँ (पक्षी, भूचर, सरीसृप, आदि) : (सूची में 10 -20 प्रजातियां जो आम तौर पर पायी जाती हैं)
 - c) मौजूदा वन तालाब की संख्या

2) CFR क्षेत्र से जरूरते और इसके अन्य महत्व

१.CFR क्षेत्र से सबसे महत्वपूर्ण लाभ हैं: (यह सिर्फ एक सांकेतिक सूची है - आवश्यकता के अनुसार बदलिये । सबसे महत्वपूर्ण चीजों को पहले सूचीबद्ध करें)

- a) जलाऊ लकड़ी
- b) घास / चराई
- c) घर की मरम्मत और बाड़ लगाने के लिए ईमारती लकड़ी
- d) तेंदुपत्ता
- e) बांस (बम्बू)
- f) महुआ फूल

- g) चिरोंजी
- h) शहद
- i) खाद्य सामग्री
- j) औषधी वनस्पति
- k) और अन्य कई

CFR क्षेत्र का सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से महत्व
(सांकेतिक सूची) :

- a) पवित्र स्थान (सूची)
- b) गाँव के तालाब / टंकी / नाले के जल-ग्रहण क्षेत्र की सुरक्षा करने हेतु
- c) कुछ विशेष पौधों या जानवरों की प्रजातियाँ जो अति संवेदनशील या नष्ट होने के खतरे में हो (सूची जोड़ें)

यदि CFR के बाहर के क्षेत्र का भी कई ग्रामीणों द्वारा परंपरागत उपयोग किया जाता है, तो सूचित करे (उदाहरण के तौर पर) :

- a) तेंदु पत्ता संकलन : (कहाँ: कौनसे गाँव के CFR में, या कंपार्टमेंट में)
- b) चराई : (कहाँ:...)
- c) जलाऊ लकड़ी संकलन (कहाँ:)
- d) अन्य...

सामुदायिक वन संसाधनों और सामान्य भूमि के लिए मौजूदा सामुदायिक प्रबंधन प्रथाओं का विवरण सांस्कृतिक/धार्मिक प्रथाओं सहित, यदि कोई हो।

3) CFR वन के लिए मुख्य खतरे या समस्याएँ :

ग्राम सभा को बिना रोकटोक चर्चा करनी चाहिए और उन खतरों पर ध्यान देना चाहिए जो उनके चिरस्थायी वन प्रबंधन के आड़े आ सकते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, लेकिन वे केवल सांकेतिक हैं। साथ ही, CFR के विभिन्न हिस्सों को अलग-अलग खतरों का सामना करना पड़ सकता है।

- a) **पड़ोसी** गाँवों या बाहरी लोगों से किसी प्रकार का अनियंत्रित उपयोग/संग्रहण हो रहा है? चराई? जलाऊ लकड़ी संग्रह? अवैध लकड़ी कटाई? अवैध शिकार? क्या इस बारे में आस-पास के गाँवों से लगातार संघर्ष चल रहा है?
- b) **अपनेही** गाँव के लोगों से होनेवाला अनियंत्रित उपयोग/संग्रहण? चराई ? जलाऊ लकड़ी संग्रह? अवैध लकड़ी कटाई? अवैध शिकार?
- c) महुआ या तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए लगाए जानेवाली आग से अधिक धोका? या किसी और कारण से आग ?
- d) वन विभाग द्वारा कूप फेलिंग या अन्य गतिविधियाँ?
- e) खनन या बांध या सड़क विकास का खतरा?
- f) वन-क्षेत्र की पहले ही क्षति हो गयी है और अब पर्याप्त उपयोगी नहीं है - इसलिए लोग इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं?
- g) वन पहले ही क्षतिग्रस्त है, और इस कारण गाँव का तालाब मिट्टी से भरा है या पानी का स्तर गिर रहा है?
- h) वन की कुछ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियाँ नष्ट हो गयी हैं, जैसे कि बांस?
- i) लैंटाना या अन्य ऐसी बाहरी प्रजातियों द्वारा वन को अतिक्रमित किया गया है जो पेड़ या घास के वृद्धि को रोक रहे हैं?

4) CFR के संरक्षण, पुनरुज्जीवन, प्रबंधन और उपयोग के लिए योजना: ऊपर बताए गए खतरों को कम करने या सुलझाने के लिए क्या उपाय करने होंगे? इसके कुछ उदाहरणों को नीचे दिया गया है। समुदाय एक तालिका बनाने पर विचार कर सकते हैं: प्रत्येक प्रकार के खतरे के लिए एक पंक्ति और साथ के अगले स्तंभमें में उसका समाधान, संबंधित क्षेत्र और प्रसंगोचित खर्च का अंदाज इनका समावेश हो सकता है।

क) कौनकौनसी गतिविधियाँ की जाएगी:

- लकड़ी की फसल, या चराई, या वनोपज संकलन को सीमित करना
- कुछ टापू को पूरी तरह से संरक्षित करके उनका प्राकृतिक पुनरुज्जीवन
- नए वृक्षारोपण (किस प्रकार के: घास? बांस? पेड़?)
- अग्नि से सुरक्षा: अग्नीरेखा, आग पर निगरानी
- मृदा और जल संरक्षण गतिविधियाँ

ख) उन्हें कैसे कार्यान्वित किया जाएगा?

- अंदर/ बाहर के लोगों द्वारा नियमों के उल्लंघन न हो इसलिए रक्षण/ निगरानी:
 - सभी सदस्यों द्वारा वनों का संरक्षण? या कुछ सदस्यों द्वारा? भुगतानसाहित या बिना भुगतान के? इ°
 - नियमों के उल्लंघन को कैसे निपटा जाएगा? अपने गांव के लोगों के लिए क्या दंड होगा / प्रक्रिया होगी? बाहरी लोगों के लिए क्या दंड होगा या प्रक्रिया होगी?
- रोपण-प्रकार की गतिविधियाँ (अगर जरूरत हो तो)
 - रोप कैसे निर्माण की जाएगी? या बीज / पौधे कहासे प्राप्त किए जाएंगे?

- ii. रोपण और संरक्षण कार्य कैसे साझा किया जाएगा?
सभी सदस्य? केवल कुछ? भुगतान सहित / अभुक्त?
 - iii. क्या निधि की आवश्यकता होगी? क्या उसे गाँव से ही इकट्ठा किया जाएगा? या प्रशान के किसी निधि से मांग की जाएगी?
- c) आग से बचाना (अगर जरूरत हो तो) :
- i. कौन निगरानी करेगा ?
 - ii. कौन अग्नी रेखा (फायर लाइन) बनाएगा?
 - iii. आदि...।।
- d) मृदा और जल संरक्षण (अगर जरूरत हो तो)
- i. चेकडैम या गलि प्लग या सीसीटी का उपयोग करके अंतःस्यंदन (इंफिल्ट्रेशन) को बढ़ावा देना [(यह समझने की जरूरत है कि भूजल रिचार्ज कहां होगा, किसे उसका फायदा होगा)]
 - ii. बरसात के पानी का संचयन करना : बंड / बान्धरा का उपयोग करना
 - iii. भू-जल की उपलब्धता में सुधार: कुओं की खुदाई (लेकिन सोच लें की किसके उपयोग के लिए? क्या सामुदायिक रूप से इस भूजल का उपयोग हो सकता है? (क्योंकि भूजल किसी की निजी संपत्ति तो है नहीं)

ग) इन गतिविधियों के लिए निधि कैसे जुटाया जाएगा और कार्य पूरा किया जाएगा?

यह अनुभाग वैकल्पिक हो सकता है क्योंकि योजना बनाते समय यह पता लगाना संभव नहीं हो सकता है कि निधि कहाँ से आएगा ।

- a. क्या ग्राम सभा अपने स्वयं के कुछ मौजूदा निधि का उपयोग करेगी? या इसके सदस्यों से जमा करेगी?
- b. क्या यह टीडीडी या अन्य स्रोतों से विशेष निधि का उपयोग करेगी?
- c. क्या यह अन्य निधि (विभिन्न विभागीय योजनाओं) के लिए पूछेगी ?

5) आश्वासन और सहायता(ASSURANCES और SUPPORT) (तकनीकी, वित्तीय और भौतिक) का विवरण, वन विभाग और अन्य एजेंसियों से ग्राम सभा की अपेक्षाएँ (कुछ संभावित आवश्यकताएं नीचे दी गई हैं। लेकिन यह संभव है कि सभी योजनाएँ अभी ज्ञात ना हों) :

- a. शिकारियों के खिलाफ वन विभाग द्वारा संरक्षण सहयोग?
- b. कूप फेलिंग नहीं होगी या केवल ग्राम सभा की अनुमति के साथ होने का आश्वासन, सभी कूप फेलिंग योजनाओं को पहले से साझा करना?
- c. आग नियंत्रण में वन विभाग द्वारा सहयोग ?
- d. CFR का मान-चित्रण और सीमांकन (mapping and marking) (किससे संपर्क किया जायेगा: कॉलेज, गैर सरकारी संगठन, आदिवासी विभाग)?
- e. जैव विविधता आकलन और उसके संरक्षण की योजना और प्रबंधन करने में मदद: कॉलेज, एनजीओ, या वन विभाग?
- f. पड़ोसी गांव के साथ संघर्ष के समाधान में मदद (किसे संपर्क किया जाएगा: एनजीओ, ग्राम सभा महासंघ, आदिवासी विभाग, जिला स्तरीय समिति)
- g. आदिवासी कल्याण विभाग (आदिवासी उप-योजना) या ग्रामीण विभाग (विभिन्न योजनाएं) से वित्तीय सहायता वाटर-

शेड विकास या संरक्षण या रोपण गतिविधियों के लिए अनुदान के रूप में

- h. बिक्री के काम में तात्कालिक पूँजी के रूप में वित्तीय सहायता
- i. तेंदूपत्ता या बाँस या अन्य उत्पादों के विपणन में अन्य सहायता: एनजीओ, अन्य विशेषज्ञ, आदिवासी विभाग, अन्य विभाग

6) आजीविका वृद्धि

आजीविका वृद्धि सामूहिक वन संसाधन प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग है। इसको स्थानिक परिस्थिति के अनुसार अलग अलग तरीकोंसे साध्य किया जा सकता है। जैसे की -

- a) **वनोपज की सामूहिक बिक्री:** अक्सर यह देखा गया है की पुरे गांव या पड़ोस के अनेक गावों ने मिलकर वनोपज की बिक्री करने से उस उत्पाद को अच्छी किंमत मिल जाती है। उदा. - तेन्दु पत्तोंका बिक्री।
- b) **वनोपज का स्टोरेज:** वन उत्पाद को कुछ समय संग्रह करके जब मांग अच्छी हो तो बिक्री करने से भी वनोपज को अच्छा भाव मिल सकता है। उदा. - महुआ के फूल
- c) **मूल्यसंवर्धन:** वनोपज पर प्रक्रिया करके अगर उसको बेचा जाए तो उनका बाजार मूल्य कई गुना बढ़ता है। उदा. - महुआ के लड्डू, बांस की चट्टाई/टोकरी, सरगी (साल) का पत्तल इ.
- d) **नए उत्पाद:** ग्रामसभा सामूहिक वन हक्क क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादों को बाजार में लाने की कोशिश कर सकती है।
- e) **शासकीय योजनाओं का अंगीकार:** सरकार ने अपनाई हुई अनेक योजनाओं का लाभ आजीविका वृद्धि में हो सकता है जैसे की मनरेगा की तहत मांग के अनुसार रोजगार, विदेशी

अतिक्रमित वनस्पति का उन्मूलन, उपयुक्त वनस्पति सामूहिक वन हक्क क्षेत्र में लगाने के लिए निधी।

- f) **इको-टूरिज़म:** सामूहिक वन क्षेत्र में पर्यटन आजीविका वृद्धि का एक माध्यम बन सकता है। ग्रामसभा को यह सुनिश्चित करना होगा की इससे गाँव की जीवनपद्धति और पर्यावरण को बाधा ना हो।

7) अवधि: योजना का कार्यकाल क्या है? इसपर पुनर्विचार कब होगा? (हमारा सुझाव है कि 3 साल का कार्यकाल ठीक रहेगा, लेकिन उसे परिस्थिति अनुरूप निश्चित करें और यह ध्यान में रहे कि ग्राम सभा योजनापर कभी भी पुनर्विचार कर सकती है)

लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नियमन

इस बात का सतत ध्यान रहे कि CFR प्रबंधन योजना बनाने की (या प्रबंधन का अमल करने की) प्रक्रिया केवल कुछ लोगों के हाथ में नह हो—भला वे बाहर से आए हुए तकनीकी विद्वान हों, या अपने ही गांव के बड़े नेता। सभी समुदायों से सतत बात-चीत और उनका इस प्रक्रिया में सहभाग अत्यावश्यक है। यह ध्यान में रखें कि अलग-अलग समुदायों कि जरूरतें और प्राथमिकताएँ अलग होती हैं। साधारणतः जो समाज जंगल से सबसे अधिक जुड़ाव रखता है वही समाज सामाजिक या अन्य दुरष्टि से सबसे कमजोर रह जाता है। महिलाएं भी जंगल पर अधिक निर्भर होती हैं, लेकिन वे कई बार सामुदायिक निर्णय प्रक्रियाओं में सहभागी होने से झिझकती हैं।

इसलिए यह बहुत जरूरी है कि ग्रामसभा **लोकतांत्रिक प्रक्रिया** अपनाकर गांव की विभिन्न समस्याए, जरूरतें और उनके समाधान निकालने की कोशिश करे. ना कि सिर्फ प्रबंधन योजना बनाने में बल्कि

प्रबंधन के हर एक चरण में गांव के सभी लोगोंका, विशेषकर महिलाएँ और उपेक्षित लोगों का, सहभाग और उनका मत गंभीरता से लेना जरूरी है। हमारे अनुभव के आधार पर कुछ मुद्दों को यहाँ अधोकरेखित कर रहे हैं जिनके बारे में निर्णय लेते समय महिलाओं और अन्य कमजोर समुदायों के विचारों को प्राथमिकता देना उचित रहेगा:

- ग्रामसभा बैठक का समय,
- ग्राम सभा के पैसों का ब्योरा कैसे लिखा जाए और फंड कैसे संचालित करें
- बैंक में खाते पर हस्ताक्षर किसके होंगे और खाता कैसे चलाया जाएगा
- चराई के क्षेत्र या चराई बंदी करनी है तो कब और कहाँ
- जलाओ लकड़ी पर अगर निर्बंध लगाने हो तो कैसे नियम हों
- जलस्रोतों पर काम करना है तो कौनसे स्रोत और कैसे काम करें
- वनोपज के सुस्थिर उपयोग के नियम क्या हों
- वनोपज बिक्री से मिले लाभ का समान और न्याय्य वितरण
- वन रक्षण का बोझ कैसे बांटा जाए, इत्यादि

ऐसे मुद्दोंपर निर्णय लेने में ग्रामसभा के सभी घटकोंका सक्रीय सहभाग महत्वपूर्ण है।

अंतिम कुछ टिप्पणियाँ:

1. यह प्रारूप **वन प्रबंधन** पर और वनाधारित आजीविका वृद्धि पर केंद्रित है। लेकिन अगर गाँव चाहता है तो योजना में गाँव के विकास के लिए जरूरी अन्य क्रियाकलाप भी जोड़े जा सकते हैं।
2. यह प्रारूप केवल सुझाव के रूप में है। ग्राम सभाएँ अपने हिसाब से प्रारूप और तरिकोंका आविष्कार करने के लिए स्वतंत्र हैं।
3. हालांकि प्रारूप में हमने बहुत सारे मुद्दों की बात की है, लेकिन परिस्थिति अनुरूप योजना का ध्यान कुछ बातों पर केंद्रित हो सकता है। उदाहरण के लिए: जहां जंगल काफी बड़ा है और उसकी

स्थिति ठीक-ठाक है, वहाँ पर योजना में शायद आजीविका वृद्धि पर ही बातें होंगी। लेकिन जहाँ पर जंगल नष्ट हो चुका है या उसकी स्थिति बिगड़ी है, तो योजना का ध्यान शायद उसके पुनरुज्जीवन पर, और उसके लिए सरकारी योजनाएँ—जैसे कि मनरेगा या कैम्पा (CAMPA)—जिनसे पुनरुज्जीवन के काम में (पेड़ लगाने में, मरौदा संधारण के काम में) आर्थिक मदद मिल सके, उसपर केन्द्रित होगा। जहाँ पर जंगल क्षेत्र में पर्यटन के संभावना है या पर्यटन चल भी रहा हो, वहाँ शायद ईको-टूरिज़म (पर्यावरण-अनुरूप पर्यटन) पर ही शायद योजना में अधिक बात होगी।

- 4. महत्वपूर्ण:** ध्यान में रहे कि प्रबंधन योजना के दो-तीन मोटे-मोटे अंश हैं: जंगल प्रबंधन के नियम, ग्राम सभा और समिति की प्रक्रियाओं के बारे में नियम, और विशेष काम के लिए 'योजना' जिसे कुछ निश्चित कालावधि में निश्चित स्रोतों से मदद लेते हुए क्रियान्वित करना हो। कई बार सरकारी विभागों का ध्यान केवल इस 'योजना' पर होता है: गाँव के क्रियाकलापों को सरकारी 'स्कीम' से कैसे जोड़ें इसपर। लेकिन टिकाऊ रूप से काम तभी होगा जब जंगलों के उपयोग या दोहन का नियमन सफल होगा और ग्राम सभा की प्रक्रियाओं में पारदर्शिकता और लोगों का पूरा सहभाग हो। इस प्रारूप में कोशिश यही है कि जो नियम बनेंगे वे जंगल और आजीविका की समस्याओं के अनुरूप, गाँव के लोगों के ज्ञान और विचारों से परिपूर्ण हों।

इस प्रारूप के बारे में आपके अनुभव और सुझाव जरूर भेजिये: डॉ शरच्चंद्र लेले (slele@atree.org) या डॉ गीतांजय साहू (geetanjoy@tiss.edu)

अनुबंध

ग्राम सभा के प्रस्ताव का प्रारूप

ग्राम सभा का नाम:

ग्राम पंचायत का नाम:

तालुका नाम:

जिला का नाम:

तारीख:

- a. यह पारित किया जाता है कि संलग्न CFR प्रबंधन योजना पर चर्चा की गई और आज से शुरू होने वाले ____ वर्ष / महीने की अवधि के लिए अपनाया गया।
- b. ग्राम सभा इस योजना को आवश्यकता अनुसार संशोधित करने का अधिकार रखती है।
- c. यह भी तय किया है कि संलग्न CFR प्रबंधन योजना नीचे दी गई वन प्रबंधन / कार्य / सूक्ष्म योजना के साथ एकीकृत है:
 - i. उपरोक्त CFR प्रबंधन योजना को वन विभाग की प्रबंधन योजना / सूक्ष्म योजना / कार्य योजना में शामिल माना जाएगा।
 - ii. वन विभाग के प्रबंधन योजना / कार्य योजना / सूक्ष्म योजना में जो हिस्से उपरोक्त CFR प्रबंधन योजना के विपरीत हैं, उन्हें तत्काल हटा दिया जाए। वन विभाग द्वारा इसे तुरंत सुनिश्चित किया जा सकता है।
- d. CFRMC (या ग्राम सेवक) को इस योजना की एक प्रति स्थानीय DFO को भेजने के लिए निर्देशित किया जाता है।

- e. इसके साथ ही यह भी पारित किया गया है कि ग्राम सभा, CFR प्रबंधन योजना को संशोधित करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखती है और इसके साथ ही वन विभाग की माइक्रो / प्रबंधन / कार्य योजना के कुछ हिस्सों को भी, जब इस ग्राम सभा द्वारा आवश्यक महसूस किया जाता है।
- f. यह आगे भी पारित किया गया है कि किसी भी इकाई द्वारा किसी भी प्रबंधन, कटाई, वनीकरण, और पुनरुज्जीवन गतिविधियों को इस ग्राम सभा की पूर्व सूचित सहमति के बिना हमारे CFR क्षेत्रों में आयोजित नहीं किया जाएगा।
